महत्वपूर्ण एवं खास

कोरोना गाइडलाइन्स का पालन नही करने वाले 8 दुकानदारों का कटा चालान

रायगढ़। एसडीएम रायगढ़ युगल किशोर उर्वशा ने आज शहर के 8 विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कोरोना गाइडलाइन्स का पालन नहीं करने पर कुल 24 हजार रुपये की चालानी कार्यवाही की है। जिनमें सत्ती गुड़ी चौक किलकारी बेबी केयर से 5000, नितेश मेडिकल गांधी चौक से 500 रुपये, मोबाइल प्वाइंट सत्ती गुड़ी चौक से 500 रुपये, बेकर्स मैजिक स्टेशन चौक से 2000 रुपये, ओम मोबाइल मालधक्का रोड से 1000 रुपये, गिरधारी शर्मा पूजा प्रोविजन से 5000 रुपये, राहुल अग्रवाल किराना केलो विहार से 5000 रुपये एवं मिनेश अग्रवाल किराना गौरीशंकर मंदिर रोड से 5000 रुपये शामिल हैं। इन दुकानों के संचालकों पर बिना मास्क लगाए दुकान दारी करने, बिना मास्क वाले ग्राहकों को सामान देने और दुकान में सोशल डिस्टेसिंग का पालन नही करने पर चालानी कार्यवाही की गयी है। इस दौरान तहसीलदार रायगढ़ सुश्री सीमा पात्रे, नायब तहसीलदार विक्रांत राठौर सहित अनुविभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी विद्यालय स्कूल में प्रवेश हेतु 12 अप्रैल से 11 मई तक फार्म उपलब्ध

रायगढ़ । छत्तीसगढ़ शासन एवं शिक्षा विभाग द्वारा संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी विद्यालय रायगढ़, छत्तीसगढ़ बोर्ड नटवर स्कूल परिसर में सत्र 2021 हेतु कक्षा पहली 40 सीट एवं कक्षा 11 वीं 40 सीट विज्ञान संकाय एवं वाणिज्य संकाय में प्रवेश उपलब्ध है। कक्षा पहली में लॉटरी द्वारा चयन होगा। कक्षा 11 वीं में प्रवेश प्रतिशत के आधार एवं अंग्रेजी माध्यम से पढ़े विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा शासकीय विद्यालयों में लागू समस्त सुविधायें देय होगी जैसे निःशुल्क एवं सर्व-सुविधायुक्त शिक्षा, पाठ्य पुस्तक वितरण कक्षा पहली से दसवीं, गणवेश वितरण कक्षा पहली से आठवीं, मध्यान्ह भोजन कक्षा पहली से आठवीं, सरस्वती सायकल योजना, छात्रवृत्ति कक्षा पहली से 12 वीं। लॉटरी द्वारा चयन होने के पश्चात टीसी आवश्यक समस्त दस्तावेज जमा किया जायेगा। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी विद्यालय रायगढ़, नटवर स्कूल परिसर में सत्र 2021-22 हेतु फार्म 12 अप्रैल से 11 मई 2021 तक दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे उपलब्ध है। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिये मोबा नं. 9165333330 एवं 9893235492 पर कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते है।

रिक्त शासकीय भूमि की नीलामी के लिये 16 अप्रैल तक दावा आपत्ति आमंत्रित

रायगढ़ । नजूल अधिकारी रायगढ़ द्वारा जारी सूचना के अनुसार रायगढ़ के रामपुर बड़े दिनदयाल अपार्टमेन्ट के पीछे दक्षिण पश्चिम दिशा में प्लाट नंबर 3/1 रकबा 10,500 वर्गफुट भूमि, दिनदयाल अपार्टमेन्ट के पीछे खेत से लगकर दक्षिण पूर्वी कोना पर प्लाट नंबर 3/1 रकबा 4500 वर्गफुट भूमि तथा दिनदयाल अपार्टमेन्ट के पीछे दीपक एक्का कालोनी को जाने वाली रास्ता पर स्थित प्लाट नंबर 3/1 रकबा 15,500 वर्गफुट भूमि को खुली नीलामी के तहत आबंटन किये जाने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त संबंध में यदि किसी हितबद्ध पक्षकार अथवा कोई भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वे अपना दावा-आपत्ति न्यायालय नजूल अधिकारी, रायगढ़ में सुनवाई तिथि 16 अप्रैल 2021 तक स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आपत्ति/दावा पर विचार नहीं किया जायेगा तथा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

सामान्य प्रशासन समिति एवं सामान्य सभा की बैठक 12 अप्रैल को

रायगढ़ । अध्यक्ष जिला पंचायत रायगढ़ निराकार पटेल की अध्यक्षता में जिला पंचायत रायगढ़ के सामान्य प्रशासन समिति की बैठक 12 अप्रैल को पूर्वान्ह 11 बजे से तथा सामान्य सभा की बैठक 12 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से जिला पंचायत रायगढ़ के सभाकक्ष में आहूत की गई है।

राज्य में वैक्सीन की 34.36 लाख से अधिक डोज दी जा चुकी है

रायपुर (आरएनएस)। राज्य में 7 अप्रैल तक की स्थिति में कोविड-19 वैक्सीन की 34 लाख 36 हजार 330 डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 295309 हेल्थ केयर वर्कर को पहली डोज और 192343 को दूसरी डोज, 242150 फ्रंट लाइन वर्कर को पहली डोज और 131826 को दूसरी डोज दी गई है।

कुपोषण मुक्ति अभियान में लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई-कलेक्टर सिंह

» 13 परियोजना अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश

» कलेक्टर भीम सिंह ने ली महिला व बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक

रायगढ़ । जिले में कुपोषण को खत्म करने के लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त करना है। इसमें किसी भी कर्मचारी व अधिकारी की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी, जो भी कार्य के प्रति तय लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करेगा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उक्त बातें कलेक्टर भीम सिंह ने आज सृजन सभाकक्ष में आयोजित महिला व बाल विकास विभाग की बैठक में कही।

कलेक्टर सिंह ने बैठक में सेक्टर वाइस दिए गए आंकड़ों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्रों में कुपोषित बच्चों की संख्या, उनको दिए जाने वाले रेडी टू इट और गरम भोजन और गर्भवती माताओं को दिए जाने वाले भोजन व दवाइयां, एनआरसी में कुपोषित बच्चों को रखने और उन्हें कुपोषण से बाहर लाने दिए जाने वाले डाइट आदि की एजेंडा वार चर्चा की। इस पर कई जगहो अपेक्षानुरूप प्रगति नहीं होने पर कलेक्टर सिंह ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सुपोषण योजना अंतर्गत किसी तरह की लापरवाही नहीं चलेगी। उन्होंने दिए गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए फील्ड पर जाकर ईमानदारी से कार्य करने की बात कही। जांच करने के दौरान अगर आंकड़े गलत निकले तो यह गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आती है। ऐसे अधिकारी व कर्मचारी पर कठोर कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर सिंह ने कहा कि आप सभी आंगनबाड़ी के अधिकारी-कर्मचारी बच्चों को सबल बनाने का काम करते हो, जो एक पवित्र कार्य है। आंगनबाड़ी केन्द्रों में महिलाओं को ही रखा जाता है क्योंकि उनके अंदर मातृत्व रहता है, जो बच्चो की जरूरत को बखूबी समझती है। इसलिए आप सभी को अपना कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। इसके बाद पोषण वाटिका के संबंध में चर्चा की गई। पोषण वाटिका से आंगनबाड़ी केन्द्रों को लिंक करने और उन्हें पोषण वाटिका से ही सब्जी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उद्यान अधिकारी द्वारा 500 हेक्टेयर में मुनगा लगवाने और फिर इसके पाउडर बनाने की यूनिट स्थापित करने की भी जानकारी दी गई। इसके बाद महतारी जतन योजना पर कलेक्टर सिंह ने चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने योजना का गांव-गांव में बेहतर प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी टी.के.जाटवर सहित सभी सेक्टर के प्रशासनिक पर्यवेक्षक अधिकारी, पर्यवेक्षक सहित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

इन्हें हुआ नोटिस जारी- रायगढ़ शहरी परियोजना अधिकारी के वेतन रोकने, खरसिया प्रशासनिक परिवेक्षक अधिकारी, धरमजयगढ़ परियोजना अधिकारी, कापू परियोजना अधिकारी, लैलूंगा प्रशासनिक पर्यवेक्षक अधिकारी, मुकड़ेगा प्रशासनिक पर्यवेक्षक अधिकारी, लेन्ध्रा पर्यवेक्षक रिसोरा, लेन्ध्रा पर्यवेक्षक तौसीर, रायगढ़ ग्रामीण पर्यवेक्षक बंगुरसरिया, खरसिया पर्यवेक्षक भुपदेवपुर, रायगढ़ ग्रामीण पर्यवेक्षक लोइंग व डुमरपाली, पर्यवेक्षक मुकड़ेगा, पर्यवेक्षक बीरसिंहा, लेन्ध्रा प्रशासनिक परियोजना अधिकारी, पुसौर प्रशासनिक अधिकारी, बरमकेला प्रशासनिक अधिकारी, कापू पर्यवेक्षेक को कार्य पर लापरवाही बरतने पर नोटिस जारी करने के निर्देश डीपीओ को कलेक्टर सिंह ने दिए।

एनआरसी में लगाएं सीसीटीवीए रोज लें रिपोर्ट- समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर सिंह ने एनआरसी के आंकड़ों पर भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने एनआरसी में सीसीटीवी लगवाने और हर रोज फोटो और नाम सहित रिपोर्ट लेने और बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस दौरन उन्होंने सभी एनआरसी की गंभीरता से जांच करने की भी बात कही। इस दौरान कई आंगनबाड़ी केन्द्रों में वजन बेईंग मशीन खराब होने की बात सामने आई, जिसे जल्द सुधरवाने या नई मशीन खरीदने के निर्देश कलेक्टर सिंह ने दिए।

मुनुन की सुपरवाइजर की तारीफ- चर्चा के दौरान यह बातें सामने आई की मुनुन की सुपरवाइजर श्रीमती शैलेश यादव द्वारा पूर्व के 20 प्रतिशत कुपोषण की संख्या पर 7 प्रतिशत पर लाया गया। इस पर कलेक्टर सिंह ने सुपरवाइजर श्रीमती शैलेष यादव की कार्यो की तारीफ करते हुए ऐसे ही सभी को काम करने की बात कही। श्रीमती यादव ने बताया कि उन्होंने गांव के सरपंच-पंच से मिलकर उन्हें बच्चों के वजन और सही खान-पान की जानकारी दी। इसी तरह बच्चों के परिजनों से डोर-टू-डोर मिलकर सभी को बच्चों के वजन और सही खान-पान के लिए जागरूक किया। इससे ही उसे कुपोषण प्रतिशत कम करने में कामयाबी मिली।

कलेक्टर व एसपी ने पैदल मार्च कर कोरोना की दूसरी लहर से बचाव के लिये शहरवासियों को किया जागरूक

रायगढ़। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पिछले कुछ दिनों में देश में एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दूसरी लहर से बचाव के लिये एहतियातन राज्य के कई जिलों में लॉकडाउन भी लगाया जा चुका है, स्थिति को देखते हुये जिला प्रशासन व पुलिस विभाग जिलेवासियों को पूर्व की तरह कोरोना के प्रति विशेष सावधानी बरतने तथा अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराये जाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में लोगों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिग व वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने के लिये कलेक्टर भीम सिंह, एसपी संतोष सिंह की अगुवाई में जिले के पुलिस अधिकारी व जवानों द्वारा पैदल शहर भ्रमण कर शहरवासियों को अपने प्रतिष्ठान, आफिस, घरों में विशेष सावधानी बरतने की अपील किया गया।

शाम करीब 06.00 बजे एसपी आफिस से निकलकर रैली सुभाष चौक -कोतवाली रोड -हंडी चौक सतीगुड़ी चौक-कोतरारोड थाना चौक से होते हुए सतीगुड़ी चौंक-बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ चौक के बाद पुनः एसपी कार्यालय पहुंची। रैली के शहर के प्रमुख चौंक-चौराहों से गुजरने के दौरान कलेक्टर व एसपी रायगढ़ द्वारा व्यवसायियों को अपने प्रतिष्ठान में मास्क अनिवार्य करने को कहा गया।

जवानों द्वारा कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंस का पालन करने व आवश्यक न हो तो भीड़ वाले स्थान पर न जाने का आह्वान किया गया। रैली में नगर निगम आयुक्त,एडिशनल एसपी , सीएसपी, ट्रैफिक डीएसपी, एसडीएम रायगढ़, रिजर्व इंस्पेक्टर, शहर के सभी थाना, चौकी प्रभारी, नगर सैनिक, सशस्त्र बल के जवानों के साथ थाना चौकी व रिजर्व बल शामिल थे।

बैंक कैशियर के हमलावरों को खोज निकालने वाली टीम के चार सदस्य चुने गये कॉप आफ द मंथ

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा माह मार्च-2021 में कॉफ ऑफ द मंथ के लिये धरमजयगढ़ अन्तर्गत घटित गोलीकांड में पुलिस मिली सफलता को स्थान दिया गया है। उनके द्वारा इस सफलता पर जवानों की भूमिका की समीक्षा किये अज्ञात आरोपियों की पतासाजी, गिरफ्तारी के लिये गठित टीम में शामिल किये गये थाना धरमजयगढ़ के प्रधान आरक्षक लक्ष्मी कैवर्त, आरक्षक सिकन्दर तिर्की, थाना कोतवाली के आरक्षक हेम प्रकाश सोन, थाना पूंजीपथरा के आरक्षक बालचंद राव की भूमिका की सराहना करते हुये उनके उत्साहवर्धन के लिये उन्हें कॉप ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है।

ज्ञात हो कि 01 मार्च 2021 को घटित इस गंभीर घटना के बाद एसपी संतोष सिंह के निर्देशन पर एडिशनल एसपी अभिषेक वर्मा, सीएसपी अविनाश सिंह ठाकुर, डीएसपी सतीश भार्गव, अंजू कुमारी तत्काल मौके पर पहुंचे , और लगातार धर्मजयगढ़ में कैंप कर वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन पर टीम को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। थानाभारी धरमजयगढ़, छाल, घरघोड़ा के साथ अलग-अलग थानों के 2-2 जवानों की टीमें बनाई गई, जिनके द्वारा कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, जशपुर तथा झारखंड, ओडिसा, बिहार के जिलों छापेमारी किया गया।

कुछ दिनों बाद एसडीओपी धरमजयगढ़ सुशील नायक टीम को ज्वाइन किये, पूरी टीम के लगन व मेहनत से दो सप्ताह के भीतर चार आरोपियों को हथियार समेत गिरफ्तार किया गया, विशेष बात यह रही कि टीम फरार दो आरोपियों के लोकेशन पर लगातार छापेमारी कर रही थी जिसमें कैशियर पर फायर करने वाले आरोपी को झारखंड से धर दबोचा गया।

कोविड-19 होम आईसोलेशन के संबंध में डॉ.प्रशांत ने ली इंडियन मेडिकल एसोसियेशन के सदस्यों की बैठक

रायगढ़ । संयुक्त संचालक डॉ.प्रशांत श्रीवास्तव होम आइसोलेशन नोडल बिलासपुर संभाग की उपस्थिति में समस्त रायगढ़ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों साथ कोविड-19 होम आइसोलेशन के संबंध में बैठक आयोजित की गई। संयुक्त संचालक डॉ.प्रशांत श्रीवास्तव द्वारा समस्त इंडियन मेडिकल एसोसियेशन के सदस्यों को होम आइसोलेशन मरीजों को टैली कंसल्टेशन करने के लिए अपील की। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा दर भी निर्धारित कि गई है, जिसमें कि प्राइवेट डॉक्टरों द्वारा टैली कंसल्टेशन के माध्यम से निगरानी करने हेतु मरीजों को 2500 रुपए का शुल्क देना होगा, जो कि ऑनलाइन या चेक या कैश के माध्यम से कर सकेंगे। शासकीय डॉक्टरों की कमी की वजह से प्राइवेट डॉक्टरों का सहयोग लिया जा रहा है ताकि होम आइसोलेशन मरीजों को बेहतर कंसल्टेशन प्राप्त हो सके और घर रहते अपना उपचार करवा सके और आपातकालीन स्थिति में मरीज अस्पताल शिफ्ट हो सके। इसमें सभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि जो सक्षम हैं वे शुल्क प्रदान कर सकते हैं एवं जो शुल्क देने में असक्षम हैं उन्हें भी हम टेली कंसल्टेशन प्रदान करने की इच्छा जाहिर की।

अजय कबाड़ी के अमलीभौना गोदाम पर पुलिस ने की रेड

» 23 टन स्क्रैप व एलपीजी गैस सिलेंडर, कटिंग मशीन की जप्ती, मौके पर एक आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के दिशा निर्देशन पर जूटमिल टी.आई. अमित शुक्ला के नेतृत्व में स्टाफ द्वारा आज दिनांक 08.04.2021 को अमलीभौना स्थित अजय कबाड़ी के गोदाम पर छापेमारी किया गया। पुलिस टीम को मौके पर एक ट्रक का कटा बॉडी जिसमें नम्बर प्लेट नहीं था, पुराना जीप एवं 407 वाहन सीजी13एके2294 में आयरन पत्थर लोड था खड़ी हुई मिली। साथ ही गोदाम में लोहे पार्टस, कटिंग के लिये 02 नग एलपीजी सिलेंडर, 02 नग ऑक्सीजन गैस कटर तथा स्क्रैप रखा हुआ था , गोदाम में उपस्थित मिले व्यक्ति ने अपना नाम बबलू सिंह पिता छत्रपाल सिंह उम्र 24 साल निवासी कमलपुर कोटमी थाना सुरजपुर जिला सुरजपुर का निवासी बताया तथा गोदाम में मैनेजर का काम करना बताया तथा गोदाम के मालिक अजय को बाहर जाना बताया। गोदाम के मैनेजर बबलू से कबाड़ समान, आयरन पत्थर मय वाहन, एलपीजी सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर व कटर मशीन एवं स्क्रैप करीब 23 टन कीमती 1,50,000 रूपये की जप्ती की गई तथा मैनेजर बबलू सिंह पर धारा 41(1+4)सीआरपीसी/379 आईपीसी की कार्यवाही कर रिमांड पर भेजा गया है। कार्यवाही में टीआई अमित शुक्ला के साथ प्रधान आरक्षक मो. दिलदार कुरैशी, विजय गोपाल, आरक्षक सत्या यादव, किर्तन सिदार की सराहनीय भूमिका रही।

कोरोना से निबटने 223 ऑक्सीजन और 56 आईसीयू बेड तैयार

» कलेक्टर भीम सिंह ने ली स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रबंधन की बैठक

रायगढ़ । कोरोना से निबटने कलेक्टर भीम सिंह ने जिला स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। आज की बैठक में शहर के मेडिकल कालेज, जिंदल, अपेक्स, बालाजी आदि अस्पतालों में 223 ऑक्सीजन बेड और 56 आईसीयू बेड तैयार कर इलाज के लिए मैन पॉवर लगाने के निर्देश कलेक्टर भीम सिंह ने अस्पताल प्रबंधकों को दिए हैं।

बैठक शाम 4 बजे से कलेक्टोरेट प्रथम तल स्थित सभाकक्ष में शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक चली। सबसे पहले मेडिकल कालेज, जिला अस्पताल, जिंदल, अपेक्स, बालाजी में ऑक्सीजनेटेड बेड और आईसीयू बेड पर चर्चा की गई। इसमें सभी अस्पतालों को अपने संसाधनों के साथ ऑक्सीजनेटेड बेड और आईसीयू बेड संचालित करने के निर्देश दिए गए। इसमें सभी अस्पतालों में 223 ऑक्सीनेटेड और 56 आईसीयू बेड तैयार रहने की जानकारी दी गई। इसी तरह पुसौर और सारंगढ़ के अस्पतालों व दो अन्य अस्पतालों को भी आने वाले दिनों के लिए करीब 50 ऑक्सीजनेटेड और आईसीयू बेड तैयार रखने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान कलेक्टर सिंह ने सभी अस्पताल प्रबंधकों से पूर्व की तरह अपने संसाधन और टीम को एक्टीवेट करने के निर्देशित किया। कलेक्टर सिंह ने कहा कि प्रदेश की राजधानी में लॉकडाउन की घोषणा हो गई है। राजनांदगांव जैसे जिले में भी करीब 900 केस प्रतिदिन आ रहे हैं। इसलिए आने वाले दिनों में जिले में भी स्थिति गंभीर हो सकती है। इस दौरान कलेक्टर सिंह ने जिले के लोगों को मॉस्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और सेनेटाइजर का उपयोग करने की अपील की है। बैठक मे कलेक्टर सिंह ने वैक्सीनेशन की भी समीक्षा की। इस दौरान सीएमएचओ डॉ.एस.एन.केशरी ने बताया कि अब तक 2 लाख 36 हजार 296 लोगों को वैक्सीन लग चुका है। लक्ष्य के अनुरूप बरमकेला ने 85 प्रतिशत वैक्सीनेशन किया है। इसी तरह रायगढ़ अरबन को सबसे कम 34 प्रतिशत रहा। इस दौरान कलेक्टर सिंह ने लक्ष्य के अनुरूप शहरी क्षेत्र में वैक्सीनेशन करने के निर्देश निगम कमिश्नर आशुतोष पाण्डेय को दिए। इसके बाद जिला पंचायत सीईओ डॉ.रवि मित्तल ने कोविड-19 को रोकने शासन की गाइड लाइन की जानकारी दी। उन्होंने जहां अधिकांश लोगों का आना-जाना हो और कर्मचारी हों जैसे जिला कोर्ट, तहसील, एसडीएम कार्यालय, जिंदल आदि संस्थानों में वैक्सीनेशन करने के सुझाव दिए। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, जिला टीकाकरण अधिकारी, कोविड नोडल अधिकारी आदि उपस्थित थे।

कन्टेंमेंट जोन घोषित करने और फाइन लगाने के निर्देश- बैठक के दौरान कलेक्टर सिंह ने बैठक के दौरान शासन द्वारा जारी गाइड लाइन की जानकारी सभी को दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में ज्यादा केस आ रहे हैं उसे कन्टेंमेंट जोन घोषित कर एरिया सील करना है। इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और मास्क नहीं लगाने और गाइड लाइन के नियमों का उलंघन करने वालों पर नियमानुसार फाइन और एफआईआर करने के निर्देश दिए।

कोविड वैक्सीन लगाने से कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति से बच सकते हैं

रायगढ़ । राज्य की लगभग 10 प्रतिशत आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि इस माह के अंत तक 45 से अधिक आयु समूह जो कुल आबादी का 20 प्रतिशत है, के सभी 58 लाख 66 हजार 599 लोगों को पहली डोज देकर सुरक्षित कर लिया जाए। अभी तक इस आयु समूह के 25 लाख 25 हजार 833 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। फिर भी अभी कुछ लोगों के मन में तरह-तरह की भ्रांतियां है कि इससे प्रजनन क्षमता में असर होगा या कि बीमार नही है तो क्यों लगवाएं, या कि इससे और बीमार पड़ जायेंगे या कि तबीयत खराब है आदि-आदि।

विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनीसेफ विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सक, भारत सरकार के ड्रग रेगुलेटर अथारिटी सभी यह कह रहे हैं कि यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और आवश्यक मानदंडों का पालन करते हुए तैयार की गई है। इसके अलावा इसको लगाने के बाद होने वाले विपरीत प्रभाव नगण्य हैं। यह गर्भवती और शिशुवती माताओं को छोड़कर या जो अस्पताल में भर्ती हों, कोरोना संक्रमित हैं या जिन्हे गंभीर प्रकार की एलर्जी है, इन समूहों को छोड़कर सभी व्यक्ति इसे लगवा सकते है। ह्दय रोग, किडनी रोग से पीड़ित मरीज भी इसे लगा सकते है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480